भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
**राज्य सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं.1512**
31 जुलाई,2026 को उत्तर देने के लिए

## प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना की प्रगति एवं उपलब्धियां

**1512 # श्री प्रदीप कुमार वर्मा:**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने तथा उन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है;
(ख) यदि हां, तो योजना के अंतर्गत अब तक लाभान्वित सूक्ष्म उद्यमों, संस्वीकृत परियोजनाओं और संवितरित वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार द्वारा 'एक जिला एक उत्पाद' (ओडीओपी) आधारित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहन देने हेतु विशेष पहल की गई हैं, और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री**
**(श्री चिराग पासवान)**

(क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) देश में नए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र प्रायोजित "प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना " को लागू कर रहा है। यह योजना संस्थागत ऋण पहुंच में सुधार, उद्यम के औपचारिकीकरण को सुविधाजनक बनाने, प्रौद्योगिकी उन्नयन को बढ़ावा देने, ब्रांडिंग और मार्केटिंग को मजबूत करने, सामान्य सेवाओं और अवसंरचना तक पहुंच बढ़ाने, और प्रशिक्षण व तकनीकी सहायता के माध्यम से क्षमता निर्माण करके सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने का लक्ष्य रखती है।

मौजूदा इकाइयों के औपचारिकीकरण या नई सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना के लिए 35% की दर से क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें अधिकतम 10 लाख रुपये का अनुदान शामिल है। यह योजना एसएचजी/एफपीओ/सहकारी समितियों की खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को 35% की दर से क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को प्रारंभिक पूँजी, इनक्यूबेशन सेंटर, साझा अवसंरचना, ब्रांडिंग और मार्केटिंग तथा क्षमता निर्माण के लिए भी सहायता प्रदान करती है।

दिनांक 30 जून 2026 की स्थिति के अनुसार, 2,00,421 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए 5954.57 करोड़ रुपये की स्वीकृत सब्सिडी के साथ ऋण स्वीकृत किए गए हैं। प्रारंभिक पूँजी घटक के अंतर्गत, 4,18,293 एसएचजी सदस्यों के लिए 1438.29 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। राज्य-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग) और (घ) स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, यह योजना 'एक ज़िला एक उत्पाद' (ओडीओपी) दृष्टिकोण अपनाती है। ओडीओपी की पहचान राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कृषि उत्पादन, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की उपस्थिति, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी)/ किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ)/ सहकारी समितियों/ ओडीओपी के प्रसंस्करण में लगे सूक्ष्म उद्यमों के आधार पर की जाती है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा ओडीओपी की सिफारिश की गई है और कृषि मंत्रालय के परामर्श से मंत्रालय द्वारा इसे अंतिम रूप दिया गया है। दिनांक 30 जून 2026 तक, इस योजना के अंतर्गत 35 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 726 जिलों के लिए ओडीओपी को स्वीकृति दी गई है।

मंत्रालय ने इस योजना की लोकप्रियता बढ़ाने और ओडीओपी समेत सभी उत्पादों के बारे में विभिन्न हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जागरूकता अभियान जैसे समाचार पत्रों में विज्ञापन**,** रेडियो जिंगल्स**,** प्रदर्शनियां और एक्सपो**,** मेले**,** क्रेता-विक्रेता बैठकें आदि के माध्यम से योजना की शुरुआत से ही विभिन्न पहल / उपाय किए हैं।

*****

**अनुबंध**

**दिनांक 31.07.2026 को उत्तर हेतु "प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना की प्रगति एवं उपलब्धियां" के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1512 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध**

**पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत स्वीकृत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी और प्रारंभिक पूँजी सहायता का राज्य-वार विवरण**

| | | क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी | | प्रारंभिक पूँजी | |
|---|---|---|---|---|---|
| क्र.सं. | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | स्वीकृत ऋण (संख्या) | स्वीकृत सब्सिडी (करोड़ रुपये में) | एसएचजी सदस्य (संख्या) | स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में) |
| 1 | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 18 | 1.03 | 114 | 0.43 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 9922 | 166.69 | 45842 | 173.12 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 254 | 17.22 | 4383 | 13.98 |
| 4 | असम | 6534 | 74.91 | 34915 | 105.34 |
| 5 | बिहार | 32100 | 753.01 | 24636 | 87.70 |
| 6 | चंडीगढ़ | 5 | 0.21 | 0 | 0.00 |
| 7 | छत्तीसगढ | 1941 | 84.04 | 10914 | 14.13 |
| 8 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 12 | 0.42 | 13 | 0.02 |
| 9 | दिल्ली | 363 | 10.00 | 0 | 0.00 |
| 10 | गोवा | 157 | 6.12 | 2077 | 7.77 |
| 11 | गुजरात | 1949 | 124.24 | 7185 | 18.39 |
| 12 | हरियाणा | 1989 | 129.02 | 1675 | 6.10 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 2826 | 70.39 | 15602 | 58.67 |
| 14 | जम्मू और कश्मीर | 2704 | 58.01 | 1694 | 6.18 |
| 15 | झारखंड | 5442 | 114.29 | 6159 | 20.72 |
| 16 | कर्नाटक | 10289 | 393.97 | 19054 | 74.91 |
| 17 | केरल | 9865 | 265.16 | 6802 | 21.49 |
| 18 | लद्दाख | 104 | 5.14 | 651 | 1.82 |
| 19 | लक्षद्वीप | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 15946 | 538.80 | 15259 | 48.54 |
| 21 | महाराष्ट्र | 31236 | 923.43 | 59403 | 212.97 |
| 22 | मणिपुर | 318 | 22.01 | 1024 | 3.72 |
| 23 | मेघालय | 269 | 4.78 | 5725 | 18.13 |
| 24 | मिजोरम | 91 | 3.56 | 2641 | 10.11 |
| 25 | नागालैंड | 509 | 9.14 | 6165 | 15.30 |
| 26 | ओडिशा | 3921 | 117.63 | 34207 | 102.02 |
| 27 | पुदुचेरी | 231 | 5.45 | 1986 | 7.68 |
| 28 | पंजाब | 3506 | 298.05 | 1404 | 4.36 |
| 29 | राजस्थान | 1786 | 104.13 | 7857 | 27.03 |
| 30 | सिक्किम | 76 | 2.12 | 2832 | 11.29 |
| 31 | तमिलनाडु | 19328 | 463.51 | 36697 | 141.42 |
| 32 | तेलंगाना | 7826 | 119.81 | 29973 | 117.32 |
| 33 | त्रिपुरा | 380 | 10.14 | 5209 | 19.95 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 26465 | 972.27 | 8511 | 25.97 |
| 35 | उत्तराखंड | 1258 | 39.96 | 9349 | 31.27 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 801 | 45.92 | 8335 | 30.44 |
| | कुल योग | 200421 | 5954.57 | 418293 | 1438.29 |